भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2354

उत्तर देने की तारीख 4 अगस्त, 2025

सोमवार, 2025/13 श्रावण, 1947 (शक)

कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आईटीआई की स्थापना

2354. श्री अजय भट्टः

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों में कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या उक्त सभी केंद्रों ने अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल युवाओं की संख्या कितनी है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के तत्वावधान में प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) देश के युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) का कार्यान्वयन करता है।

आईटीआई की स्थापना और दैनंदिन अभिशासन संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र अभिशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है, जबकि संबद्धता के मानदंड निर्धारित करना, प्रमाणन के साथ-साथ परीक्षा आयोजित करने और पाठ्यक्रम तैयार करना जैसी नीतियाँ केंद्र सरकार

की ज़िम्मेदारी हैं। जब भी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से नए आईटीआई की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो उसकी जाँच की जाती है तथा संबद्धता मानकों और मानदंडों के अनुसार निर्णय लिया जाता है।

वर्तमान में, देश भर में 14,615 आईटीआई मौजूद हैं, जिनमें से 3,316 राजकीय और 11,299 निजी आईटीआई हैं। उत्तराखंड राज्य में कुल 174 आईटीआई स्थापित हैं, जिनमें से 103 राजकीय और 71 निजी आईटीआई हैं। राज्य-वार आईटीआई की संख्या **अनुबंध-1** में उपलब्ध है।

ये आईटीआई उन पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं जिनके लिए उन्हें संबद्धता प्रदान की गई है। यदि कोई आईटीआई लंबे समय तक प्रशिक्षुओं को दाखिला नहीं देता है, तो डीजीटी दिशानिर्देशों में ऐसे प्रावधान मौजूद हैं, जिसके तहत ऐसे आईटीआई के विरुद्ध उनकी संबद्धता रद्द करने से संबंधित कार्यवाही शुरू की जा सकती है। तदनुसार, जनवरी 2025 में, लगभग 400 आईटीआई की संबद्धता रद्द कर दी गई, क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ शैक्षणिक सत्रों के दौरान किसी भी प्रशिक्षु को दाखिला नहीं दिया था।

(घ) आईटीआई में सीटीएस के अंतर्गत, 2014 सत्र से अब तक लगभग 1.37 करोड़ अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। वर्ष 2014 सत्र से अब तक प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की राज्य-वार संख्या **अनुबंध-2** में दी गई है।

अनुबंध-1

दिनांक 04.08.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2354 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राजकीय और निजी आईटीआई की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राजकीय आईटीआई की संख्या	निजी आईटीआई की संख्या	कुल आईटीआई
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3	1	4
2.	आंध्र प्रदेश	85	434	519
3.	अरुणाचल प्रदेश	7	0	7
4.	असम	31	16	47
5.	बिहार	150	1,219	1,369
6.	चंडीगढ़	2	0	2
7.	छत्तीसगढ़	120	106	226
8.	दिल्ली	18	28	46
9.	गोवा	11	2	13
10.	गुजरात	273	215	488
11.	हरियाणा	159	222	381
12.	हिमाचल प्रदेश	128	139	267
13.	जम्मू और कश्मीर	49	0	49
14.	झारखंड	77	269	346
15.	कर्नाटक	274	1,192	1,466
16.	केरल	149	297	446
17.	लद्दाख	3	0	3
18.	लक्षद्वीप	1	0	1
19.	मध्य प्रदेश	195	768	963
20.	महाराष्ट्र	422	616	1,038
21.	मणिपुर	10	0	10
22.	मेघालय	7	1	8
23.	मिजोरम	3	0	3
24.	नागालैंड	9	0	9
25.	ओडिशा	73	427	500
26.	पुदुचेरी	8	7	15
27.	पंजाब	115	205	320
28.	राजस्थान	182	1,364	1,546
29.	सिक्किम	4	0	4
30.	तमिलनाडु	93	363	456
31.	तेलंगाना	66	232	298
32.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	4	0	4
33.	त्रिपुरा	20	2	22
34.	उत्तर प्रदेश	294	2,964	3,258
35.	**उत्तराखंड**	**103**	**71**	**174**
36.	पश्चिम बंगाल	168	139	307
सकल योग		**3,316**	**11,299**	**14,615**

अनुबंध-2

दिनांक 04.08.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2354 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

शैक्षणिक सत्र **2014-2024** तक सीटीएस के तहत आईटीआई में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या**
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	4,949
2.	आंध्र प्रदेश	5,81,584
3.	अरुणाचल प्रदेश	6,332
4.	असम	36,819
5.	बिहार	11,11,169
6.	चंडीगढ़	10,218
7.	छत्तीसगढ़	2,13,968
8.	दिल्ली	1,01,561
9.	गोवा	21,236
10.	गुजरात	8,37,301
11.	हरियाणा	5,38,038
12.	हिमाचल प्रदेश	2,23,310
13.	जम्मू और कश्मीर	57,627
14.	झारखंड	3,51,673
15.	कर्नाटक	7,76,609
16.	केरल	3,57,298
17.	लद्दाख	1,851
18.	लक्षद्वीप	2,508
19.	मध्य प्रदेश	7,23,569
20.	महाराष्ट्र	12,62,781
21.	मणिपुर	2,930
22.	मेघालय	6,896
23.	मिजोरम	4,073
24.	नागालैंड	2,218
25.	ओडिशा	5,75,420
26.	पुदुचेरी	9,160
27.	पंजाब	44,6,120
28.	राजस्थान	12,69,365
29.	सिक्किम	3,245
30.	तमिलनाडु	4,04,462
31.	तेलंगाना	3,53,345
32.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	5,053
33.	त्रिपुरा	20,826
34.	उत्तर प्रदेश	29,71,004
35.	**उत्तराखंड**	**1,11,186**
36.	पश्चिम बंगाल	3,32,988
योग		**1,37,38,692**

*****